(139)

(16)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट-3

जयपुर दिनांक 30 MAY 2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 5(ड) के द्वारा निर्णय अनुसार राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति गठित है :-

(क) विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरों हेतु सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिये राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति :-

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	संबंधित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।	सदस्य
4.	...मय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

(ख) विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरों को छोडकर अन्य शहरों सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र हेतु राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति :-

1.	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
3.	संबंधित निकाय (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
4.	समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
5.	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम् नगर नियोजक	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समितियों द्वारा दिये गये निर्णय की क्रियान्विति हेतु संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाने से पूर्व उस पर प्रभारी मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने एवं अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् निर्णय क्रियान्विति हेतु संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान को संशोधित करते हुये सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उक्त दोनों समितियों की संयुक्त बैठक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

30/5/12

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(345)